**Government of India**
**Ministry of Railways**
**(Railway Board)**

No.98/TG.I/9/P. New Delhi, dated 28 02.2000.

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

**(Commercial Circular No. 5 of 2000)**

**Sub: Release of berths out of emergency quota for duty/ privilege/post retirement complementary pass holders.**

....

Kindly refer to this office letter of even No. dated 09.02.1998 wherein it was advised that those officials who are entitled to travel in AC 2 tier and AC Ist class may be allowed to place their name on the waiting list to the extent of 10 persons in AC 2 tier and 4 persons in AC I class .

2. Earlier there was no provision for issue of tickets in Rajdhani/Shatabdi Express trains on the authority of PTOs. However, w.e.f. 31.07.1998 PTOs issued to railway officers/staff have been made valid for travel for the entitled class in Rajdhani/Shatabdi Express trains on payment of usual PTO fare subject to total pass quota defined for each train

3. In view of changed circumstances, the matter was reviewed in the Ministry of Railways (Railway Board) and it has been decided that :-

i) waiting list ticket in AC 2 tier and AC Ist class of Rajdhani Express trains and Executive Class of Shatabdi Express train should be issued against duty/privilege/post retirement complementary pass without any waiting list limit.

ii) In Chair Car of Shatabdi Express trains and 3AC of Rajdhani Express trains where 50% of the duty pass holders quota is available at the counter for booking on first come first served basis and the remaining 50% is utilised like emergency quota, waiting list tickets will be issued without any limit after 50% of quota earmarked at the counter has been exhausted

The waiting list so prescribed in Chair Car, AC 3 tier, 2 AC and Executive Class of these trains as mentioned in para 3(i) & (ii) above, should be separate waiting list apart from the general waiting list.

iii) While releasing the emergency quota against duty/privilege/post retirement complementary passes in these trains, the PNR Number should be insisted upon. However, in exceptional cases where it is just impossible to get a waitlist ticket issued, emergency quota may be released on the authority of duty/privilege/post retirement complementary passes with a specific approval of an officer to be nominated by Zonal Railways.

iv) The unutilized quota earmarked for Duty/Privilege/Post Retirement Complementary Pass holders in these trains shall be released to general waiting list passengers at the time of chart preparation

4. Necessary action may please be taken to issue the tickets in these trains accordingly and all concerned be advised.

**( O.P. Chawla )**
**Joint Director, Traffic Comml.(G),**
**Railway Board.**

Copy to:

1. CCM(PS)s & CCM(PM)s, all Zonal Railways.

2. OSDs/East Coast Railway, Bhubaneswar, East Central Railway, Hajipur, North Central Railway, Allahabad, North Western Railway, Jaipur, South Western Railway, Bangalore, West Central Railway, Jabalpur.

3. EDV(T), EDPR, EDFC, V(SS), TG.V, OSD/Ticket Checking, Railway Board.

4. GM/PRS/CRIS, Chankayapuri, New Delhi. for making necessary provision in the Software for issue of tickets against Duty /Privilege /Post retirement complimentary Passes in Rajdhani/Shatabdi Express trains without any waiting list limit.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0 98/टी•जी-1/9/पी

नई दिल्ली, दि0 28 •2•2000

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें•

(2000 का वाणिज्य परिपत्र सं0 5 )

विषयः- ड्यूटी/सुविधा/सेवोत्तर मानार्थ पास धारकों के लिए आपातकालीन कोटे से शायिकाएं रिलीज करना•

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 9•2•98 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि जो कर्मचारी वातानुकूल 2 टियर तथा वातानुकूल प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के पात्र हैं, के नाम प्रतीक्षा सूची में वातानुकूल 2 टियर में 10 व्यक्ति तथा वातानुकूल प्रथम श्रेणी में 4 व्यक्ति की सीमा तक रखे जाएं•

2• सुविधा टिकट आदेश के प्राधिकार पर राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में टिकटें जारी करने की पहले कोई व्यवस्था नहीं थी• बहरहाल, 31•7•98 से रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी किए गए सुविधा टिकट आदेश सामान्य सुविधा टिकट आदेश किराए का भुगतान करने पर राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में पात्र श्रेणी में यात्रा के लिए वैध कर दिए गये हैं जो प्रत्येक गाड़ी के लिए निर्धारित कुल पास कोटे पर निर्भर करता है•

3• बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले की रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में समीक्षा की गई थी तथा यह विनिश्चय किया गया है कि :-

1)• राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के वातानुकूल 2 टियर तथा वातानुकूल प्रथम श्रेणी तथा शताब्दी एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव श्रेणी में ड्यूटी/सुविधा/सेवोत्तर मानार्थ पास पर प्रतीक्षा सूची टिकट बिना किसी प्रतीक्षा सूची सीमा के जारी किए जाएं•

ii) शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में कुर्सीयान तथा राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में 3 एसी जिसमें बुकिंग के लिए काउंटर पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ड्यूटी पास धारकों का 50% कोटा उपलब्ध होता है तथा शेष 50% का आपातकालीन कोटे के रूप में उपयोग किया जाता है, काउंटर पर निर्धारित 50% का कोटा खत्म हो जाने के बाद प्रतीक्षा सूची टिकट बिना किसी सीमा के जारी किए जाएंगे।

इन गाड़ियों की कुर्सीयान, वातानुकूल 3 टियर, 2 एसी तथा एग्जीक्यूटिव श्रेणी में निर्धारित प्रतीक्षा सूची जैसा कि उपर्युक्त पैरा 3(i) एवं (ii) में उल्लेख किया गया है, सामान्य प्रतीक्षा सूची से अलावा अलग प्रतीक्षा सूची होगी।

iii) इन गाड़ियों में ड्यूटी/सुविधा/सेवोत्तर मानार्थ पास पर आपातकालीन कोटा रिलीज करते समय पीएनआर नं0 अवश्य दिया जाए। बहरहाल, आपवादिक मामलों में जब प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करना असंभव हो, क्षेत्रीय रेलों द्वारा नामित अधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन पर ड्यूटी/सुविधा/सेवोत्तर मानार्थ पास के प्राधिकार पर आपातकालीन कोटा रिलीज किया जाए।

iv) इन गाड़ियों में ड्यूटी/सुविधा/सेवोत्तर मानार्थ पास धारकों के लिए निर्धारित कोटा उपयोग में नहीं लाए जाने पर चार्ट बनाते समय सामान्य प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को रिलीज किया जाए।

3. तदनुसार इन गाड़ियों में टिकटें जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा सर्वसंबंधित को सूचित किया जाए।

ओ.पी.चावला

( ओ.पी.चावला )
संयुक्त निदेशक, याता.वाणि.(सा.)
रेलवे बोर्ड।